फैजाबाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और भौतिक साक्ष्यों के बावजूद

जस्टिस मनोज मुखर्जी गुमनाम बाबा के ऊपर निर्णायक निर्णय क्यों नहीं दे सके?

सही जवाब पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले के बारे में जानना जरूरी है।

https://www.youtube.com/watch?v=xN3wSQms4gc

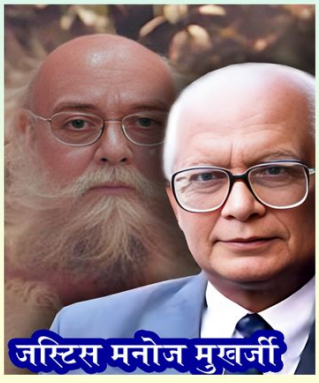

गुमनामी बाबा के अंतिम संस्कार के संबंध में न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी, क्यों clinching evidence का सवाल उठाया ? वह मुजेहना क्यों गये और मौनी बाबा से क्यों मिले थे ?

- It can not be denied that the reliable piece of documentary evidence in support of the ocular version of the witness referred to earlier could have been furnished if photographs of Bhagawanji/Gumnami Baba were taken by those who claimed to have interected with him face to face on a number of occasions since 1963 and an opportunity given to this commission to compare the same with the admited photographs of Netaji.

In fine, absence of any clinching evidence to prove that Bhagwanji/Gumnami Baba was (Netaji) died in Faizabaad on September 16, 1985, as testified by some of the witness, need not be answered.]

JMCI REPORT

फ़ैज़ाबाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और भौतिक साक्ष्यों के बावजूद जस्टिस मनोज मुखर्जी गुमनाम बाबा के ऊपर निर्णायक निर्णय क्यों नहीं दे सके? सही जवाब पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले के बारे में जानना जरूरी है।

हालीमे २२ साल पुराणी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को बरी (acquit) कर दिया। और यह तर्क दिया की circumstantial evidence की केस में जो evidence की चैन बनती हैं वो हमेसा हर accept (हर पहलू) में पूरी होनी चाहिए। जिजसे कोई भी दूसरी थियोरी की possibility खोतम हो जाये। इस मर्डर केस में जो evidence साइड लिया गया था वो motives , last seen , recover ऑफ़ assault weapon सब इन्क्लुडे कर रहा था। हाई कोर्ट में दो लिंक- motive और last seen प्रूफ हो गए थे but तीसरा-recovery of weapon invalid या unproven था, फिर भी हाई कोर्ट ने appellant को verdict कर दिया for murder। आगे सुप्रीम कोर्ट में हूई appeal से यह सामने आया की हाई कोर्ट का फैसला गलत हैं। अगर एक भी कड़ी लापता हो: सुप्रीम कोर्ट में conviction को माना करके appeal allow कर दी। जिन circumstances यानि परिस्तितिओ में अपराध का निष्कर्ष या conclusion निकाला जाना हैं उन्हें पूरी तरह से प्रूफ किया जाना चाहिए। और ऐसी circumstances, nature से conclusive यानि निर्णयात्मक होनी चाहिए।

Circumstantial evidence is indirect evidence that does not, on its face, prove a fact in issue but gives rise to a logical inference that the fact exists. Circumstantial evidence requires drawing additional reasonable inferences in order to support the claim. यानि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अप्रत्यक्ष साक्ष्य है जो प्रथम दृष्टया किसी मुद्दे पर तथ्य को साबित नहीं करता है बल्कि एक तार्किक अनुमान को जन्म देता है कि तथ्य मौजूद है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए दावे का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उचित निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है।

फ़ैज़ाबाद के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में साक्ष्यों की शृंखला हर दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए थी। गुमनामी बाबा के मामले में यह अधूरा था। क्योंकि भक्त गुमनाम बाबा की कोई फोटो नहीं दिखा सके. इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में, सबूतों का सिलसिला 1985 में नहीं रुका। यह सिलसिला सीतापुर तक बना हुआ था। इसलिए फ़ैज़ाबाद के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला पूरी करने में सीतापुर जरूरी हैं। इसलिए गुप्तारघाट को सिद्ध करना संभव नहीं हुआ । यहीं पर न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी ने सबूत (clinching evidence) पुख्ता करने का सवाल उठाया था- It can not be denied that the reliable piece of documentary evidence in support of the ocular version of the witness referred to earlier could have been furnished if photographs of Bhagawanji/Gumnami Baba were taken by those who claimed to have interected with him face to face on a number

of occasions since 1963 and an opportunity given to this commission to compare the same with the admited photographs of Netaji.
In fine, absence of any clinching evidence to prove that Bhagwanji/Gumnami Baba was (Netaji) died in Faizabaad on September 16, 1985, as testified by some of the witness, need not be answered.]JMCI REPORT

अगर मौनी बाबा को बाहर कर दिया जाए तो क्या रामभवन के बक्से में भरे दस्तावेज या डीएनए टेस्ट के इलेक्ट्रोफेरोग्राम के नतीजे काम आएंगे? आयोग के दौरान मौनी बाबा के डीएनए परीक्षण करके इसकी तुलना फैज़ाबाद में मिले बस्तु से करने का अवसर आया था , लेकिन शोधकर्ता चुप क्यों थे? गुप्तार घाट को साबित करने के लिए आज डेंटल डीएनए टेस्ट की इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट केलिए शोधकर्ताओं की दौड़ जारी है !-

/- SADHARON MANUS

https://www.youtube.com/watch?v=xN3wSQms4gc